

मांग संख्या 12  
मुख्य शीर्ष 2045

**मद क्रमांक 1**

मुख्य विद्युत निरीक्षकालय के यात्रा भत्ता के अंतर्गत पर इस वर्ष राशि 5.90 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत की जायेगी।

अतः इस प्रयोजन हेतु 100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2801

**मद क्रमांक 2**

प्रदेश के मिनी स्टील प्लान्ट एवं स्पंज आयरन इकाईयों को विद्युत शुल्क में छुट देने के फलस्वरूप विद्युत मण्डल को प्रतिपूर्ति राशि भुगतान हेतु रूपये 1960.00लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 19,60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

राज्य विद्युत नियामक आयोग के अधोसंरचना विकास पर रूपये 100.00 लाख का व्यय संभावित है। यह नवीन व्यय का मद है।

अतः इस प्रयोजन हेतु 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4801

**मद क्रमांक 4**

राज्य शासन एवं आई.एल.एफ.एस. द्वारा उर्जा क्षेत्र में विकास हेतु एक संयुक्त उपक्रम कम्पनी का गठन किया जाना है जिसमें अंशपूंजी के रूप में राशि रूपये 2.50 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6801

**मद क्रमांक 5**

राज्य शासन एवं आई.एल.एफ.एस. द्वारा उर्जा क्षेत्र में विकास हेतु एक संयुक्त उपक्रम कम्पनी का गठन किया जाना है जिसे ऋण के रूप में राशि रूपये 500.00 लाख उपलब्ध कराया जाना है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।